

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्ड पीठ****लखनऊ****आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2631 वर्ष 2026**

श्रीमती सरिता

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव, गृह राज्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य, और अन्य।

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कृष्ण मोहन पाण्डे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या: 11**माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन****माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव**

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।
2. प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 4 को कोई नोटिस जारी न किया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. चुनौती के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.12.2025 है, जिसका प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ अपराध संख्या -0244/2025 है, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2), 87, 351(2) के तहत थाना अलीगंज, जिला अंबेडकर नगर में दर्ज की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता का बेटा राहुल, याचिकाकर्ता के साथ शिकायतकर्ता के घर गया था और उसके बाद शिकायतकर्ता की लगभग 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को जबरन अपने साथ ले गया था, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए उपरोक्त आरोप स्पष्ट रूप से झूठे हैं और याचिकाकर्ता की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि शिकायतकर्ता विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

6. याचिकाकर्ता द्वारा कोई अन्य आधार नहीं लिया गया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त आधार स्पष्ट रूप से भ्रामक और गलत हैं। इसका कारण यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मुस्कान बनाम ईशान खान (सतानिया) और अन्य; 2025 ए आई अन एस सी 1287** के मामले में यह माना है कि न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को सत्यापित करने के लिए लघु परीक्षण करें।

8. सुविधा के लिए, **मुस्कान (उपरोक्त)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने शिकायतों और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता की जाँच करके विधिगत त्रुटि की है। सामान्यतः, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए यह सिद्ध होना आवश्यक है कि अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। वर्तमान मामले में, शिकायतों और प्रथम सूचना रिपोर्ट को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उत्पीड़न और दहेज की माँग के प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं, इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट को मुख्यतः इस आधार पर रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा पहले दर्ज की गई दो शिकायतों में 22.07.2021 और 27.11.2022 को घटी घटनाओं का उल्लेख नहीं था और बाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट में इनका उल्लेख केवल विचारणीय रूप से किया गया था। यह प्रतिवादी संख्या 1/पति द्वारा अपीलकर्ता को भेजे गए कानूनी नोटिस का प्रतिवाद था क्योंकि वह अपने वैवाहिक घर नहीं लौट रही थी। हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण एक लघु परीक्षण के समान है।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सोमजीत मल्लिक बनाम झारखंड राज्य और अन्य: 2024 ए आई अन एस सी 772** के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"18. यह सर्वविदित कानून है कि सभी आरोपों का विश्वकोश नहीं है। इसलिए, यह जांचने के लिए कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है, आरोपों में किसी चूक को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि आरोपों के सार को देखा जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। इस स्तर पर, न्यायालय को यह पता लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा विशिष्ट अपराध किया गया है। यह केवल जांच के बाद, आरोप तय करते समय, जब जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री न्यायालय के समक्ष होती है, तभी निर्धारित किया जा सकता है। न्यायालय को यह तय करना होता है कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आरोपी पर किस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाए। इससे पहले, यदि न्यायालय संतुष्ट हो, तो वह आरोपी को बरी भी कर सकता है। अतः, जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के बेईमान आचरण का आरोप लगाया गया हो, और यदि साक्ष्यों से इसकी पुष्टि हो जाए, तो संज्ञेय अपराध का सिद्ध होना सिद्ध हो, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करके जांच में बाधा नहीं डालनी चाहिए।”

10. **सोमजीत मल्लिक (उपरोक्त)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह देखना आवश्यक है कि उसमें निहित आरोपों का सार क्या है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। इस स्तर पर, न्यायालय को यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा विशिष्ट अपराध हुआ है। अतः, जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी द्वारा संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया हो, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करके जांच को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

11. वैसे भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **संजय कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2025 लाइव लॉ (एससी) 1170** के मामले में यह माना है कि जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से संज्ञेय अपराध सिद्ध होता है, वहां उच्च न्यायालयों से हस्तक्षेप करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

12. सुविधा के लिए, **संजय कुमार गुप्ता (उपरोक्त)** मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया है (पैराग्राफ 6 और 7):-

“6. उच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और फिर भी आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् इस मामले में निजी अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रतिवादियों को, आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी से पूर्ण संरक्षण प्रदान किया, जिससे हमारी राय में मामले की जांच को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस तरह के निर्देश के पीछे न तो कोई तर्क है और न ही कोई औचित्य।

7. यह बात निर्विवाद है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के प्रावधान लागू हैं। अतः, किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को यदि ऐसी सुरक्षा प्राप्त करने की इच्छा हो, तो उसे सर्वप्रथम सक्षम सत्र न्यायालय में जाकर उचित उपाय का लाभ उठाना होगा। आपराधिक रिट याचिका में पूर्व गिरफ्तारी जमानत की, कार्यवाही को रद्द करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करना पूरी तरह से अस्वीकार्य और अनुचित है, जैसा कि इस न्यायालय ने नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में (2021)19 एससीसी 401 में कहा है:-

“22. जैसा कि इस न्यायालय ने हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 4 एससीसी 453: (2014) 2 एससीसी (क्रिमिनल) 363] में कहा है, यद्यपि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, फिर भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग न्याय के उल्लंघन को रोकने और अधिकारियों द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों की अंधाधुंध पूर्व-गिरफ्तारी करने के द्वारा विधि प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसी याचिका पर विचार करते समय उच्च न्यायालय को दो हितों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। एक ओर, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसी शक्ति का उदारतापूर्वक प्रयोग न किया जाए जिससे वह धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही में परिवर्तित हो जाए। दूसरी ओर, जब भी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी मामले में पूर्व-गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान न करना न्याय का घोर उल्लंघन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

होगा। यदि मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने के दौरान गिरफ्तारी का कोई मामला बनता ही न हो, तो उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम जमानत देने के लिए स्वतंत्र होगा, बशर्ते कि इस शक्ति का प्रयोग केवल उन्हीं मामलों में किया जाए जहां यह बिल्कुल आवश्यक और न्यायसंगत हो। हालांकि, गिरफ्तारी न करने या "कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने" का ऐसा व्यापक अंतरिम आदेश यांत्रिक रूप से और नियमित तरीके से पारित नहीं किया जा सकता।

23. धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए और यह राय देते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट /शिकायत को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनता है, अंतिम रिपोर्ट/आरोपपत्र दाखिल होने तक और/या जांच के दौरान गिरफ्तारी न करने और/या "कोई दंडात्मक कदम न उठाने" का आदेश पारित करना पूर्णतः अस्वीकार्य है।”

13. तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संजय कुमार गुप्ता (उपरोक्त), सोमजीत मल्लिक (उपरोक्त) और मुस्कान (उपरोक्त) के मामलों में दिए गए कानून को ध्यान में रखते हुए, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है और विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी तरह के हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार करना एक लघु परीक्षण के समान होगा।

14. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव,) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



28 मार्च, 2026

ए कटियार

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।